


कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

::कार्यालय आदेश::

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक शिविरा/माध्य/संस्था/बी-2/45002/स्थानान्तरण/वो-2 दिनांक 29.09.2021 द्वारा श्री श्याम सुन्दर शर्मा, प्रधानाचार्य, राउमावि तिलोरा, अजमेर (214331) का स्थानान्तरण राउमावि सातलियास (214770) जिला भीलवाडा किया गया था। उक्त आदेश के विरुद्ध श्री श्याम सुन्दर शर्मा द्वारा माननीय राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर में अपील संख्या 4958/2021 श्याम सुन्दर शर्मा बनाम राजस्थान राज्य व अन्य दायर की गई।

अपील में माननीय अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 27.10.2021 द्वारा विभागीय आलोच्य स्थानान्तरण आदेश दिनांक 29.09.2021 का क्रियान्वयन अपीलार्थी श्याम सुन्दर शर्मा के सम्बन्ध में माननीय अधिकरण द्वारा स्थगित करते हुए स्पष्ट किया गया है कि प्रत्यर्थी विभाग नये सिरे से नियमानुसार स्थानान्तरण करने हेतु स्वतन्त्र है तथा ऐसे स्थानान्तरण पर उक्त आदेश बाधक नहीं होगा।

अतः राउमावि तिलोरा जिला अजमेर में प्रधानाचार्य पद पर दोहरे पदस्थापन के निवारणार्थ श्री श्याम सुन्दर शर्मा, प्रधानाचार्य को नवीन आदेश प्रसारित करते हुए स्वयं की प्रार्थना पर राउमावि बस्सी (219549) नागौर में प्रधानाचार्य के पद पर पदस्थापित किया जाता है। सम्बन्धित अधिकारी आदेश की तत्काल पालना सुनिश्चित करे।


(काना राम)

आई.एस

निदेशक माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक: शिविरा-मा./संस्था/बी-2/अपील/श्याम सुन्दर/4958/2021

दिनांक: 22/11/2021

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतन्त्र प्रभार) प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, अजमेर सभाग, अजमेर।
4. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, अजमेर/नागौर में जयते
5. जिला शिक्षा अधिकारी, (मुख्यालय) माध्यमिक, अजमेर/नागौर।
6. सम्बन्धित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी।
7. जिला शिक्षा अधिकारी (विधि) माध्यमिक, जयपुर।
8. सहायक निदेशक, विधि अनुभाग कार्यालय हाजा।
9. सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड हेतु।
10. प्रधानाचार्य राउमावि तिलोरा जिला अजमेर।
11. श्री श्याम सुन्दर शर्मा, प्रधानाचार्य को आदेश की पालनार्थ।
12. निजी/रक्षित पत्रावली।


संयुक्त निदेशक(कार्मिक)